



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्रामियर म.प्र.




अपील क्रमांक

/ 2016/ 1/11/16

हरिराम पटेल पिता स्व. रामकृष्ण पटेल उम्र 60 वर्ष
निवासी ग्राम पड़िया गोरथ ना बरेला तहसील
व जिला जबलपुर म.प्र. अपीलार्थी

विरुद्ध

गोकुलदास पटेल पिता कौरमणी श्री सीतराम पटेल उम्र लगभग 55 वर्ष
निवासी ग्राम पड़िया गोरथ, धाना बरेला तहसील
एवं जिला जबलपुर प्रति अपीलार्थी
29/1/16



अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर
संभाग जबलपुर अपील क्रमांक 658/ बी/121/09-010
पकार हरिराम वि. गोकुलदास में पारित आदेश दिनांक
19.2.2016 से दुखी होकर व पीड़ित होकर निम्नलिखित
तक्ष्यों एवं आधारों पर अपीलार्थी माननीय न्यायालय के
समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

तथ्य

- यह कि अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान नायब तहसील दार वृत खरिया तहसील व जिला जबलपुर के राजस्व पकारण क्रमांक 56 बी / 121/08-09 में पारित आदेश दिनांक 8.6.2009 के विस्तृ प्रथम अपील अनुचिभागीय अधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था।
- यह कि अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान अनुचिभागीय अधिकारी राजस्व अपील क्रमांक 61 / बी. / 121 /2008-09 पकार हरि गोकुल दास पटेल वि. हरिराम पटेल में पारित आदेश दिनांक 12.7.2010 से दुखित होकर न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था।
- यह कि अपीलार्थी ग्राम पड़िया नं.बी. 185/264, प.ह. सं 50, तहसील व जिला जबलपुर में स्थित छसरा नंबर 176 को अपनी भूमि

26-10-16

गोपेश के लिए
 वर्षा नीरिंग सर्व द्वारा बाहिर
 पाल | लोहि अधिकारी नवीन | परम्
 समूह पर्यावरण वाचुआ | अवधार
 राज | गोपेश के लोहि
 लोहि अधिकारी नवीन | परम्
 गोपेश के लालुपात्री के
 कामा कदम पैदली के २७/१०
 लिख लला है।